उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-44/2019/500/92-2-19-34जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 27 फरवरी 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर के विकास खण्ड-डिबाई में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत नगरपालिका एवं विकास खण्ड स्तर पर कराये गये इण्टरलांकिग कार्य के प्राक्कलन गलत ढंग से स्वीकृत करने, डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 20-11-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री राम कन्हैया, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति पी0आई0यू0-बुलंदशहर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव

संख्या-44/2019/500(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र सं0-जी-92/पीए-सीटीई/2823-143/13/17-18 दि0 20-11-2018 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री राम कन्हैया के विरूद्ध आरोपपत्र गठित कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(संलग्नक यथोक्त)**

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर।

4- श्री राम कन्हैया, तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति पी0आई0यू0-बुलंदशहर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in